In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.P.S.-70/2021

11/04/2022	मृत वादी के कानूनी वारिशानों की ओर से वकालतनामा के साथ एक आवेदन पत्र U/O-22 Rule-3 R/W Sec 151 C.P.C. दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के एकमात्र वादी की मृत्यु हो गई है। अतः मृत वादी के नाम हटाकर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र में वादी के क्रम में जोड़ने का आदेश दिया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकनन से विदित होता है कि वाद अभी ग्रहण नहीं किया गया है तथा वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादी आवेदन पत्र के साथ मृतक के मृत्यु प्रमाण—पत्र की छायाप्रति दाखिल की गई है तथा वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन पत्र U/O-22 Rule-3 R/W Sec 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र से एकमात्र वादी का नाम हटाकर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र में वादी के क्रम में जोड़े। वाद दिनांक 29.4.22 वास्ते सिरिस्तेदार प्रतिवेदन हेतु। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी